/. 16

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–20/2015 106 पटना, दिनांकः 13.03.18

कार्यालय आदेश

श्री शैलेन्द्र नारायण सिह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण –सह क्रय केन्द्र प्रभारी, टेगरा(बारूण) के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2014–15 में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में अनियमितता बरतने के लिए जिला पदाधिकारी, औरगाबाद के पत्रांक 508/आ० दिनांक 22.04.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र भेजा गया था। उक्त आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–177 सहपठित ज्ञापांक 910 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा श्री शैलेन्द्र नारायण सिह पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में जिला साख्यिकी पदाधिकारी, औरगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं निदेशालय के का०आ०सं०183 सहपठित ज्ञापांक 1445 दिनांक 22.07.2016 द्वारा अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1922 रा० दिनांक 22.07.2017 के द्वारा श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर निम्न मंतव्य एव निष्कर्ष समर्पित किया है :–

(i) श्री सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है कि कार्यपालक सहायक, क्रय केन्द्र, बारूण के द्वारा दिनांक 22.03.2015 तक का क्रय पंजी, निर्गत पंजी एवं भंडार पंजी कम्पयूटर मे संधारित था। और फिर उन्हीं के द्वारा अपने स्पष्टीकरण मे उल्लेख किया है कि क्रय पंजी एव निर्गत पंजी दिनांक 22.03.2015 तक एव भंडार पंजी दिनांक 19.03.2015 तक सधारित था। जिससे स्पष्ट है कि श्री सिंह ने अपने कार्य में लापरवाही बरती है।

(ii) आरोपी द्वारा उक्त आरोप को स्वयं स्वीकार किया है कि भंडारित धान का भडार अव्यवस्थित ढंग से उनके द्वारा किया गया है।

(iii) श्री सिह के स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने लगाये गये आरोप एक गोदाम को पूर्व से भरे बिना दूसरे गोदाम मे भंडारित किया गया है सही प्रतीत हो रहा है। इन्होंने उक्त आरोप को छुपाने की नियत से तरह–तरह के तर्क दिये गये है।

(iv) श्री सिंह के स्पष्टीकरण अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि लगाये गये आरोप इन्होंने स्वीकार किया है। जैसे इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि किसानो के अत्यधिक दबाव आने के कारण एवं किसानों के आक्रोश से बचने एवं विधि व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए परिस्थितिवश यह कदम मजबूरी में उठाना पडा ।

(v) श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया है कि बिलब का मुख्य कारण कार्य के अधिकता के साथ ही नेटवर्किंग सबंधित समस्या, पूरे बिहार के लिए डेटा के सचरण हेतु बैंडविड्थ का सही आकलन का अभाव एवं केवल कार्यालय अवधि में ऑन लाईन इंट्री हेतु सर्वर का ऑन होना है इससे स्पष्ट है कि श्री सिह पर लगाये गये आरोप प्रमाणित है।

(vi) श्री सिंह द्वारा उक्त आरोप के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किये गए भाषा का अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि ये उदंड प्रवृति के कर्मी हैं। दिये गए निदेश का अनुपालन न कर ये अपने सुझाव देते हैं कि यदि राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद उक्त दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहें तो सत्यापन करा सकते हैं। जिससे स्पष्ट है कि लगाये गए आरोप प्रमाणित है।

(vii) श्री सिंह ने उक्त आरोप को स्वयं स्वीकार किया है।

निष्कर्ष :– श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण प्रखंड, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भगवानपुर प्रखंड, कैमूर के द्वारा लगाये गये आरोप के विरूद्ध लिखित स्पष्टीकरण समर्पित किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होने राज्यस्तर के विभागीय पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य निगम के द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करते हुए मनमाने ढ़ग से कार्य किया है।

अतः श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण प्रखंड संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, भगवानपुर प्रखंड, जिला–कैमूर पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।

3. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होता है के प्रतिवेदन के आलोक में संचालन प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए निदेशालय के पत्रांक 1903 दिनांक 01.09.2017 द्वारा श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधानों के तहत उस पर अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

4. श्री सिंह द्वारा दिनांक 24.10.2017 को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभ्यावेदन में उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं को अकित किया गया है :–

(i) सचालन पदाधिकारी ने वगैर किसी साक्ष्य के एवं बगैर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के उपस्थिति सुनिश्चित कराये उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अनदेखी कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर येनकेन प्रकारेन आरोपो को सिद्ध करने का प्रयास किया है।

(ii) क्रय के दबाव में भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु दीवार से छल्ली एवं छल्ली से छल्ली के बीच के स्थानों में बोरों को रखना पडा जिससे प्रथम द्रष्टया गोदाम में भंडारित धान व्यवस्थित नहीं लग रहा था।

(iii) पहला गोदाम से मिलरों को धान भेजे जाने के कारण खाली दिखाई पड़ रहा था।

(iv) अग्रिम चावल देने के पश्चात किसी भी मिलर को एस०आई०ओ० (भंडारनिर्गमादेश) तबतक प्राप्त नहीं होता था, जबतक क्रय केन्द्र के पूर्व में निर्गत भंडार निर्गमादेश पर धान का उठाव की सूचना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय को उपलब्ध न हो जाये।

(v) किसानों के आक्रोश से बचने एवं विधि व्यवस्था के बिगड़ने से रोकने के लिए परिस्थितिवश किसानों से क्रय धान को भंडार में शामिल मजबूरी में करना पड़ा । वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद –सह–प्रभारी पदाधिकारी, बारूण के प्रतिवेदन को पूरी तरह से नजर अंदाज कर आरोपों का गठन किया गया एव उसे आनन–फानन मे प्रमाणित भी कर दिया है।

(vi) प्रतिवेदन भेजने मे बिलंब का मुख्य कारण कार्य की अधिकता के साथ ही नेटवर्किगं संबंधित समस्या, पूरे बिहार के लिए डेटा के सचरण हेतु बैंडविथ का सही आकलन का अभाव एवं कार्यालय अवधि मे ऑनलाईन इट्री हेतु सर्वर का ऑन होना है।

(vii) तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा सहयोग के अभाव मे सत्यापन से सबंधित कार्य नहीं कराया जा सका।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित उक्त तथ्यों को उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को भी दिया गया था जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इनके द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि ये निर्दोष हैं। इनके अभ्यावेदन से यह परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी है एवं अपने वरीय पदाधिकारियों के निदेश की अनदेखी की गयी है। अतएव श्री सिह द्वारा दिनांक 24.10.2017 को समर्पित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शैलेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बारूण –सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, बारूण संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भगवानपुर, कैमूर पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है ।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–20/2015 630 पटना, दिनांकः 13.03.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कैमूर।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/कैमूर।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/कैमूर।
5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद।
6. प्रखड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, कैमूर।
7. श्री सुदामा कुमार, आई० टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक –सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, बारूण प्रखंड, औरगाबाद संप्रति प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भगवानपुर प्रखंड,कैमूर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/18
निदेशक